

विस्तृत आख्या

परियोजना विवरण :- जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र चम्पावत के अन्तर्गत विरमोला- रायल मोटर मार्ग का नव निर्माण।

लैण्ड शैड्यूल : संलग्न किया गया है।

वांछित भूमि का विवरण (Description of the Land Required):- प्रस्तावित मार्ग की स्वीकृति राज्य योजना के अन्तर्गत शासनादेश संख्या 659/ I.II (2)/15(प्र0आ0)/2013 दिनांक 23-01-2015 द्वारा 5.00 किमी० लम्बाई हेतु रु० 35.55 लाख हेतु प्राप्त हुआ है।

उपरोक्त 4.000 किमी० लम्बाई में वांछित प्रभावित भूमि का विवरण निम्नवत हैं :-

(a) प्राइवेट भूमि (Private Land) -	400m x 7m = 2800 Sqmt = 0.28 Hectare
(b) आरक्षित वनभूमि (Reserve Forest Land) -	000.00m x 7m = 0.00 Sqmt = 0.00 Hectare
(c) सिविल भूमि (Civil Land) -	3600.00m x 7m = 25200 Sqmt = (2.520+0.123मलवा) = 2.643Hectare
(d) वनपंचायत भूमि (Van Panchayat Land) -	0.00m x 0.00m = 0.00 Sqmt = 0.00 Hectare

कुल भूमि जो कि मोटर मार्ग निर्माण हेतु आवश्यक है :-

$$(2.520+0.123) = 2.643 \text{ Hectare}$$

विदित हो कि रायल ग्राम की बसावट को संयोजित करने हेतु मार्ग की पूर्ण लम्बाई प्रस्तावित की जा रही है, तथा लक्षित ग्राम को संयोजित करने हेतु अतिरिक्त लम्बाई की आवश्यक नहीं है।

प्रभावित पेड़ों का विवरण (Status of Tree felling):- मोटर मार्ग में कुल 58 पेड़ विभिन्न प्रजाति के प्रभावित हो रहे हैं, जिसमें मुख्यतः चीड़, साल कुकाट इत्यादि हैं। इन 58 पेड़ों में से 00-20 व्यास के 17 वृक्ष, 20-30 व्यास के 20 वृक्ष, 30-40 व्यास के 16 पेड़, 40-50 के व्यास के 4 पेड़, 50-60 व्यास के 1 पेड़ आ रहे हैं।

मोटर मार्ग का संक्षिप्त विवरण (Brief Description of the road):- प्रस्तावित मोटर मार्ग से विरमोला एवं रायल ग्राम लाभान्वित हो रहे हैं जिसकी आबादी क्रमशः विरमोला (आबादी-110) एवं रायल (आबादी- 185), ग्राम लाभान्वित हो रहे हैं। इस प्रकार कुल-295 आबादी लाभान्वित हो रही है। यह मार्ग विकास खण्ड, चम्पावत जिला चम्पावत (उत्तराखण्ड) में स्थित है। इस मार्ग में नाप भूमि एवं सिविल भूमि प्रभावित हो रही है। जिस हेतु वन भूमि प्रस्ताव गठित किया गया है।

मोटर मार्ग को वन भूमि में अवस्थित करने का औचित्य (Necessity of the project and justification for locating the project in forest area):- वर्तमान में विरमोला एवं रायल अन्य तोंकों के ग्रामवासियों को अपनी दैनिक आवश्यकताओं एवं अपने कृषि उत्पादों को रोड हैड तक पहुँचाने हेतु लगभग 4.00 किमी० की पैदल दूरी तय करनी पड़ती है। मोटर मार्ग के अभाव में क्षेत्रवासियों को उचित चिकित्सा सेवायें नहीं मिल पा रही हैं, जिस कारण गर्भवती महिलाओं एवं अन्य रोगियों के जीवन का जोखिम बना रहता है।

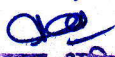
मोटर मार्ग से असंयोजकता के कारण क्षेत्रीय जनता अनेकाएक लाभों से वंचित है, तथा पिछड़ेपन का शिकार है। ग्रामवासियों का मुख्य व्यवसाय खेती एवं पशुपालन है। ग्रामवासियों अपनी कैश फलसों (Cash crops) यथा सन्तरे, अदरक, आलू, नीबू इत्यादि को रोड हैड तक पैदल अथवा खच्चरों से लाया जाता है, तथा उनके उत्पादों का उन्हें सही लाभ नहीं मिल पाता।

मोटर मार्ग से संयोजकता हो जाने के उपरान्त ग्रामवासियों का समाजिक एवं आर्थिक स्तर में प्रगति होने के साथ-साथ गाँव से नवयुवकों का पलायन रुकेगा। मार्ग निर्माण में प्रभावित 2.643 हेक्टेयर प्रभावित वनभूमि जो कि सर्वेक्षण पश्चात चिन्हित की गई है, न्यूनतम है तथा समरेखन को इस प्रकार प्रस्तावित किया गया है कि पेड़ों का न्यूनतम पातन हो।

इस प्रस्तावित समरेखन के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक समरेखन नहीं है, जिसमें इससे कम पेड़ों का पातन हो। वनभूमि 7.00 मी० चौड़ाई में लिया जाना प्रस्तावित किया जा रहा है, तथा (Straight Reaches) में 6.00 मी० चौड़ाई में मार्ग निर्माण किया जायेगा।

भूगर्भवेत्ता की निरीक्षण आख्या से भी स्पष्ट होता है कि इस प्रस्तावित समरेखन में मार्ग निर्माण भूगर्भ की दृष्टि से सुरक्षित है। समरेखन में कोई भी कब्रिस्तान, अत्येष्टि स्थल, धार्मिक/ऐतिहासिक/पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल/स्थान प्रभावित नहीं हो रहा है।

उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगोचर रखते हुए जनहित में 2.643 हेक्टेयर वनभूमि को मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रदत्त करने की कृपा करें।


सहायक अभियन्ता
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय प्रमुख, लोकोपनिवेश
जम्मावत


अधिसारी अभियन्ता
अधिसारी अभियन्ता
प्रान्तीय प्रमुख, लोकोपनिवेश
जम्मावत